रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062021-227398
CG-DL-E-07062021-227398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215] नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2021/ज्येष्ठ 17, 1943
No. 215] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2021/JYAISHTHA 17, 1943

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 02 जून, 2021

सं.ईपी.14(1)/2017.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभः**

(i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषाः** इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसाकि खाद्य निगम अधिनियम,1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. निम्नलिखित संशोधन भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971, विनियम 22(2) में किए गए हैः-

(2)(क) (i) इस विनियम में निहित किसी भी बात के होते हुए, उपयुक्त प्राधिकारी की, यदि राय है कि ऐसा करना जनहित में है, तो उसे कर्मचारी को लिखित रूप में तीन महीने नोटिस देते हुए अथवा नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देते हुए सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है:

(क) यदि वे श्रेणी-I और II सेवा में हैं अथवा मूल, स्थायित्व अथवा अस्थायी पद पर हैं और वे 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले निगम की सेवा में आए हैं, उन्होंने 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ख) किसी भी मामले में उनकी पचपन वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद;

(ii) यदि मामले की समीक्षा पर अथवा कर्मचारी निगम से समय पूर्व या अन्यथा सेवानिवृत्त होने का प्रतिवेदन किया जाता है, तो सेवा में निगम के कर्मचारी को बहाल करने का निर्णय लिया जाता है, बहाली का आदेश देने वाले प्राधिकारी असाधारण अवकाश सहित अथवा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अकार्य दिवस के रूप में मानकर, देय और स्वीकार्य छुट्टी के प्रदान करते हुए बहाली की तिथि और समय पूर्व सेवानिवृत्ति की तारीख के बीच के हस्तक्षेप की अवधि को विनियमित कर सकते हैः

बशर्ते कि हस्तक्षेप की अवधि को वेतन और भत्ते सहित सभी प्रयोजनार्थ ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में माना जाएगा, यदि यह विशेष रूप से प्राधिकारी द्वारा बहाली आदेश करते हुए किया जाता है कि समय पूर्व सेवानिवृत्ति मामले की परिस्थितियों में उचित नहीं थी, अथवा, यदि न्यायालय द्वारा समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश अलग रखा गया है।

(iii) जहाँ समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश को, समय की सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि और बहाली की तारीख के बीच की अवधि के नियमन के संबंध में विशिष्ट निर्देशों के साथ एक विधि न्यायालय द्वारा अलग रखा गया है और आगे कोई अपील दायर करने का प्रस्ताव नहीं है, उपरोक्त अवधि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विनियमित होगी।

(2)(ख) (i) कोई भी निगम कर्मचारी पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद (और निगम की सेवा में 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले आया है), और अन्य सभी मामलों में उसने 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा से उपयुक्त प्राधिकारी को लिखित में तीन महीने से कम समय का नोटिस देकर, यदि वह श्रेणी 'I' या 'II' सेवा या पद में हैं, सेवानिवृत्त हो सकते हैः

(क) यह निलंबन के तहत निगम के कर्मचारी को अनुमति देने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के लिए खुला होगा जो इस खंड के तहत सेवानिवृत्त होना चाहते हैं।

(ख) उप-खंड (2) (ख) (i) में संदर्भित निगम का कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में अनुरोध कर सकते हैं कि वह तीन महीने से कम समय के नोटिस को स्वीकार कर सके;

(ग) उप-खंड (ख) के तहत अनुरोध प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी मेरिट के आधार पर तीन महीने की नोटिस की अवधि घटाने (curtailment) के लिए इस तरह के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं और यदि वह संतुष्ट हो जाते हैं कि नोटिस की अवधि घटाना किसी भी प्रशासनिक असुविधा का कारण नहीं बनेगा, तो नियुक्ति प्राधिकारी इस शर्त पर तीन महीने की नोटिस की आवश्यकता को शिथिल कर सकते हैं कि निगम का कर्मचारी तीन महीने की नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले अपनी पेंशन के एक हिस्से के लिए आवेदन नहीं करेंगे।

(2)(ख) (ii) निगम के कर्मचारी, जिन्हें इस नियम के तहत सेवानिवृत्त होने के लिए चुना गया है और नियुक्ति प्राधिकारी को उस आशय की आवश्यक सूचना दी गई है, को इस तरह के प्राधिकारी की विशिष्ट स्वीकृति के अलावा बाद में अपना चयन वापस लेने से रोका जाएगा:

बशर्ते कि निकासी का अनुरोध उनकी सेवानिवृत्ति की आशातीत तिथि के भीतर हो।

(2)(ग) खंड (2) (क) (i) में निहित किसी भी बात के होते हुए, उपयुक्त प्राधिकारी, की यदि यह राय है कि ऐसा करना जनहित में है, तो निगम को, श्रेणी- III और IV सेवारत या पद वाले कर्मचारी को तीस साल की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें लिखित में तीन महीने नोटिस देते हुए अथवा नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देते हुए सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है।

(2)(घ) श्रेणी III अथवा IV सेवा या पदों में निगम के कर्मचारी, उपयुक्त प्राधिकारी को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर, तीस साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो सकते हैं।

सीमा कक्कड़, सचिव

[विज्ञापन/III/4/असा./82/2021-22]

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए ।

क्र .सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा॰ खा॰ नि॰,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन)विनियम,2020	30.07.2020
2.	भा॰ खा॰ नि॰,(कर्मचारीवृन्द)(तीसरा संशोधन)विनियम,2020	30.07.2020
3.	भा॰खा॰नि॰, विनियम (चौथा संशोधन) (कर्मचारीवृंद), 2020	30.07.2020
4.	भा॰खा॰नि॰, विनियम (पांचवा संशोधन) (कर्मचारीवृंद), 2020	07.12.2020

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 02 June, 2021

No.EP.14(1)/2017.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (First Amendment) Regulations, 2021.

(ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in this Regulations shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. In the FCI (Staff) Regulations, 1971, **Regulation 22(2) may be amended as under:**

(2) (A) (i) Notwithstanding anything contained in this Regulation, the Appropriate Authority shall, if it is of the opinion that it is in the public interest so to do, have the absolute right to retire any Corporation employee by giving him notice of not less than three months in writing or three months' pay and allowances in lieu of such notice:

(a) If he is, in Category I & II service or post in a substantive, quasi-permanent or temporary capacity and had entered Corporation service before attaining the age of 35 years, after he has attained the age of 50 years;

(b) In any other case after he has attained the age of fifty-five year;

(ii) If on a review of the case either on a representation from the Corporation employee retired prematurely or otherwise, it is decided to, reinstate the Corporation employee in service, the authority ordering reinstatement may regulate the intervening period between the date of pre-mature retirement and the date of reinstatement by the grant of leave of the kind due and admissible, including extraordinary leave or by treating it as *dies non* depending upon the facts and circumstances of the case:

Provided that the intervening period shall be treated as a period spent on duty for all purposes including pay and allowances, if it is specifically held by the authority ordering reinstatement that the premature retirement was itself not justified in the circumstances of the case, or, if the order of premature retirement is set aside by a Court of Law.

(iii) Where the order of premature retirement is set aside by a Court of Law with specific directions in regard to regulation of the period between the date of premature retirement and the date of reinstatement and no further appeal is proposed to be filed, the aforesaid period shall be regulated in accordance with the directions of the Court.

(2)(B) (i) Any Corporation employee may, by giving notice of not less than three months in writing to the appropriate authority retire from service after he has attained the age of fifty years, if he is in Category 'I' or 'II' service or post, (and had entered the Corporation service before attaining the age of 35 years), and in all other cases after he has attained the age of 55 years:

(a) It shall be open to the Appropriate Authority to withhold permission to a Corporation employee under suspension who seeks to retire under this clause.

(b) A Corporation employee referred to in sub-clause **(2)(B)(i)** may make request in writing to the Appointing authority to accept notice of less than three months giving reasons therefor;

(c) On receipt of a request under sub-clause **(b)**, the Appointing Authority may consider such request for the curtailment of the period of notice of three months on merits and if it is satisfied that the curtailment of the period of notice will not cause any administrative inconvenience, the Appointing Authority may relax the requirement of notice of three months on the condition that the Corporation employee shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the period of notice of three months.

(2)(B) (ii) A Corporation employee, who has elected to retire under this rule and has given the necessary intimation to that effect to the Appointing Authority, shall be precluded from withdrawing his election subsequently except with the specific approval of such authority:

Provided that the request for withdrawal shall be within the intended date of his retirement.

(2)(C) Notwithstanding anything contained in Clause **(2)(A)(i)**, the Appropriate Authority shall, if it is of the opinion that it is in the public interest to do so, have the absolute right to retire a Corporation employee in Category III & IV service or posts, after he has completed thirty years' service by giving him notice of not less than three months in writing or three months' pay and allowances in lieu of such notice.

(2)(D) A Corporation employee in Category III or IV service or posts, may, by giving notice of not less than three months in writing to the Appropriate Authority, retire from service after he has completed thirty years' service.

Seema Kakar, Secy.
[Advt./III/4/Exty./82/2021-22]

Note:- The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

SL. No	Title	Dated
1	FCI(Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2020	30.07.2020
2	FCI(Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2020	30.07.2020
3	FCI(Staff) (4th Amendment) Regulations, 2020	30.07.2020
4	FCI(Staff) (5th Amendment) Regulations, 2020	07.12.2020

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.07 20:43:31 +05'30'